न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 16/2008

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
श्री प्रभूराम पुत्र श्री हरजीराम जाति कलबी निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. सरपंच ग्राम पंचायत, कोजरा। 2. श्री रामाराम पुत्र श्री फुसाजी जाति माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दिनेश कुमार सुराणा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 21/95–96 मिसल संख्या 20 दिनांक 21.02.1986 वर्गफीट 2200 को निरस्त कराने हेतु इस विनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 (जरिये नीलामी) के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा ने वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 21/95–96 मिसल संख्या 20 दिनांक 21.02.1986 वर्गफीट 2200 जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल दायर संख्या 20 दिनांक 21.02. 1986 को दर्ज की गई है [illegible] दिनांक 21.02.1986 दर्ज है आपत्ति नोटिस जारी गया है। प्रार्थी अधिव[illegible]त किया है कि अप्रार्थी संख्या दो को जिस भूखण्ड का पट्[illegible] प्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है। ग्राम पंचायत [illegible] ने 30×45 माप[illegible] प्लॉट काटे थे लेकिन जमीन न होते हुए भी 80 फीट चौडाई [illegible] किया गया [illegible] की खातेदारी भूमि से लगता हुआ पट्टा अप्रार्थी [illegible] दो को जारी किया [illegible] जो कानूनन वैध नहीं है। प्रार्थी को विवाद की जानकारी दिनांक 14.01.2008 को हुई जब अप्रार्थी ने विवादित भूखण्ड के आस–पास मापनी की और पाया कि प्लॉट की मापनी 60 फीट होनी चाहिए थी जबकि पट्टा में 80 फीट बताई है। प्रार्थी ने नीलामी की रकम जमा कराने में काफी देरी की थी तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि का पिछले 100 वर्ष से अधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

समय से कब्जा काश्त कर रहा है। प्रतिवर्ष उसे बाड ठीक करनी रहती है जो वह बाहर से करता है लेकिन इसके लिए ग्राम पंचायत ने उसे कोई भी रास्ता नहीं छोडा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विवादित पट्टा संख्या पट्टा संख्या 21/95–96 मिसल संख्या 20 दिनांक 21.02.1986 वर्गफीट 2200 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 (जरिये नीलामी) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। अप्रार्थी संख्या दो का मौके पर कब्जा काश्त है तथा मकान की रांग भी भरी हुई है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा पंचायत के प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 271 (जरिये नीलामी) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या दो को जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है उसके पूर्व दिशा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है। ग्राम पंचायत कोजरा ने 30×45 माप के प्लॉट काटे थे लेकिन जमीन न होते हुए भी 80 फीट चौडाई का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो को जारी किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगता हुआ पट्टा अप्रार्थी संख्या दो को जारी किया गया है जो कानूनन वैध नहीं है। प्रार्थी को विवाद की जानकारी दिनांक 14.01.2008 को हुई जब अप्रार्थी ने विवादित भूखण्ड के आस–पास मापनी की और पाया कि प्लॉट की मापनी 60 फीट होनी चाहिए थी जबकि पट्टा में 80 फीट बताई है। ग्राम पंचायत कोजरा ने मौका रिपोर्ट दिनांक 14.01.2008 में यह अंकित किया है कि विवादित पट्टे की माप गलत अंकित की हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा बनाई गई मौका फर्द के अनुसार विवादित पट्टे की माप सही नहीं है। ग्राम पंचायत कोजरा ने जमीन न होते हुए भी अधिक माप का पट्टा जारी किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर पट्टा संख्या 21/95–96 मिसल संख्या 20 दिनांक 21.02.1986 वर्गफीट 2200 को ग्राम पंचायत कोजरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौका फर्द अनुसार सही मानकर नियमानुसार पुनः पट्टा जारी करें एवं पट्टा जारी करते समय खातेदार के सुखाधिकार को भी ध्यान [illegible] जावे। पुनः पट्टा जारी करने में पट्टा धारक से नियमानुसार आनुपातिक शुल्क वसूल करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner